

I
com
for

E/Manoj/Allot-08

'הנִזְחָם

q447-145514 q4 2008-09 ፪ ቀበት ሰነዱና አገልግሎት ቀበት ይግ ሰነዱና

አንድ በዚህ የዚህ ስምምነት እና ተቋማዊነት በመሆኑ በዚህ የዚህ ስምምነት እና ተቋማዊነት በመሆኑ

七

כונת ערך


上卷

'Φιλ'

国研网-3659 / 1-10-2008-12(73) / 2008-10-10-2

जैसे—अग्निकाण्ड, और्धी, तृफान, चकवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, बाढ़ आदि के फलरक्षण घटित घटनाओं के लिये ही किया जायेगा। सामान्य दुर्घटनाओं— सड़क दुर्घटना ऐल दुर्घटना, दंगा—फसाद, दिव्युत आदि के कारण घटित घटनाओं के लिये इस धनराशि का उपयोग करदापि नहीं किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। यदि एक व्यक्ति को कई मर्दों में राहत अनुमन्य है तो सबको मिलाकर एक ही चेक के माध्यम से सहायता प्रदान की जाय। शासनादेश संख्या-4815/1-10-2007-14(45)/2003, दिनांक: 06 दिसम्बर, 2007 के अनुसार दैरी आपदा की सभी मर्दों में दिये जाने वाले रु0 1000/- से कम धनराशि का वितरण बियरर चेक के माध्यम से तथा रु0 1000/- या इससे अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेड़ी चेक के माध्यम से ही किया जाय।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में देवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।
6. राहत धनराशि का वितरण गांवों में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाए। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाए। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़ कर सुनाया भी जाए।
7. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आंवटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार विभागों धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय-विवरण शासनादेश संख्या-1693 / 1-11-2005—रा०-११ दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्राकृप



תבונת מילויים
correct

- ተጀመሪያ-3659(1) / 1-10-2008-12(73) / 2008/2010-2, በፌዴራል

 1. ከፍታዎች ተከተለዋል በትክክል የፍትህ ስም የፍትህ ስም የፍትህ ስም የፍትሁት ይገልጻል፡-
 2. ከፍታዎች ተከተለዋል
 3. መሬታውን ስም የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት የፍትሁት
 4. ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል
 5. ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል
 6. ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል
 7. ተከተለዋል ተከተለዋል ተከተለዋል / ተከተለዋል ተከተለዋል
 8. ተከተለዋል

תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה תְּמִימָה

94 311111 4111 05 51111111 1111 31111111 1111 1111 1111 1111
95 11111111 1111 31111111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111